न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 233/23 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/253)

श्रीमती ललितादेवी पत्नी हरिशंक गुप्ता एडवोकेट जाति महाजन निवासी गंगापुरसिटी **(मृतका)**

1/1 लेखराज सिंहल
1/2 भानुकुमार सिंहल
} पुत्रान स्व. श्री हरिशंकर गुप्ता जाति महाजन अग्रवाल निवासी मुनीमपाडा गंगापुरसिटी।

1/3 श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री रामअवतार बंसल पुत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर गुप्ता जाति महाजन अग्रवाल निवासी नहर रोड, लोहिया मिल के पास, गंगापुरसिटी।

1/4 श्रीमती ऊषा उर्फ आशा पत्नी श्री रामोतार गोयल (टुडियाना वाले) पुत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर गुप्ता जाति महाजन अग्रवाल निवासी पाराशर कॉलोनी, तहसील रोड महवा जिला दौसा।

1/5 श्रीमती गायत्री उर्फ रेनू पत्नी श्री चेतराम गोयल पुत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर गुप्ता जाति महाजन अग्रवाल निवासी मकान नम्बर डी–47 ग्रीनपार्क कॉलानी , आगरा रोड जयपुर।

1/6 श्रीमती सावित्री उर्फ सीमा पत्नी श्री सतीश कुमार मंगल पुत्री स्वीर्गीय श्री हरिशंकर गुप्ता जाति महाजन अग्रवाल निवासी मकान नम्बर ई–19ए, पानी की टंकी के सामने, ग्रीन पार्क कॉलोनी, आगरा रोड जयपुर।

1/7 श्रीमती अंजना उर्फ अंजू पत्नी श्री राजेश जिन्दल पुत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर गुप्ता जाति महाजन अग्रवाल निवासी सेक्टर नम्बर 9, मकान नम्बर 660 मालवीय नगर जयपुर।

1/8 श्रीमती कृष्णा उर्फ वंदना पत्नी श्री गोविन्द गर्ग पुत्री स्व0 श्री हरिशंकर गुप्ता जाति महाजन अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 446, देवनगर, न्यू सांगानेर रोड जयपुर।

.....**अपीलान्टस**

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुरसिटी।
2. बैजनाथ पुत्र हरिचरण शर्मा निवासी गंगापुरसिटी।

.....**प्रार्थीगण–रैस्पोडेन्ट**

3. हुकमचंद पुत्र गजानन्द जाति ब्राहमण निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुरसिटी।

..... **अप्रार्थी नं0 1/रैस्पोडेन्टस**

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 13.08.2002 व सिलसिले प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स प्रकरण संख्या 28/2002 उनवान सरकार, बैजनाथ बनाम हुकमचंद, ललिता

7.5.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थितिः—

श्री भानु कुमार सिंहल वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः— 07.05.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय ,दिनांक 13.08.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट नम्बर 3 हुकमचंद के पक्ष में दिनांक 18.06.1981 को ग्राम हिंगोटि्या तहसील गंगापुरसिटी में आराजी खसरा नम्बर 370/1 रकबा 11 बीघा 17 विस्बा में से 3 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 392 रकबा 2 बीघा 2 विस्बा भूमि का राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत आवंटन किया गया। इस आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1981 को निरस्त कराने हेतु रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष जरिये निगरानी चुनौती दी गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही निर्णय दिनांक 13.08.2002 पारित करते हुये रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये हुकमचंद के पक्ष में हुआ आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1981 को निरस्त कर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 13.08.2002 के खिलाफ अपीलान्टा ललितादेवी के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के द्वारा निर्णय दिनांक 22.12.2003 पारित किया गया जिसके अंतर्गत अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 13.08.2002 की पुष्टी की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 22.12.2003 के खिलाफ अपीलान्टा ललितादेवी के द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की गई। राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 23.01.2007 पारित किया गया। उक्त निर्णय में न्यायिक दृष्टान्त संजीव गोयल बनाम अवतार एस0 सांधु (2006) 9 एस0सी0सी0 748 (माननीय उच्चतम न्यायालय) के परिपेक्ष्य में इस आशय का पारित किया गया कि अपीलार्थिया की अपील इसी बिन्दु पर स्वीकार की जाती है व राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 22.12.2003 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुये अपील में विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने पक्षकारों को पाबन्द किया गया कि वे दिनांक 06.03.2007 को राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन न्यायालय आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। राजस्व मण्डल अजमेर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 23.01.2007 की पालना में राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में उक्त प्रकरण पुनः दिनांक 06.03.2007 को दर्ज रजिस्टर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र आदेश दिनांक 17.10.2019 की पालना में सुनवाई का अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी के स्थान पर संभागीय आयुक्त को प्राप्त हो जाने के कारण राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रकरण की आदेशिका दिनांक 04.12.2019 में उपरोक्त प्रकरण अदालत हाजा को स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1261 दिनांक 04.12.2019 से इस न्यायालय को उपरोक्त पत्रावली प्राप्त हुई। पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक 01.01.2020 को दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण वकील अपीलान्ट की माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.01.2007 के परिप्रेक्ष्य में एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा मौखिक बहस के अलावा लिखित बहस भी पेश की गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2002 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उपरोक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटन सलाहकार समिति की ओर से ग्राम हिंगोट्या के आराजी खसरा नंबर 370/1 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा मे से 3 बीघा तथा खसरा नंबर 392 में रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा नियमानुसार आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात रैस्पोडेन्ट को कब्जा संभलाये जाने के बाद रैस्पोडेन्टस संख्या 3 के पक्ष में विवादित भूमि के संबंध में गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 13.03.1986 को दर्ज किया गया। आवंटी की ओर से आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के बाबजूद भी तहसीलदार की ओर से रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त कराये जाने बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में रिकार्ड के विपरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह उल्लेख किया है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटित सविक खसरा नंबर 392 के हाल खसरा नंबर 956 रकबा 22 एयर गैर मुमकिन नाला व खसरा नंबर 959 रकबा 33 ऐयर को किस्म बारानी प्रथम गलत प्रकार से बताया गया है। अपीलान्ट की ओर से सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, इनमें मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 956 की कोई किस्म अंकित नहीं है। तहसीलदार ने अदालत मातहत में प्रस्तुत दस्तावेज में भी खसरा नंबर 955 व 957 को सविक खसरा नंबर से बनना नहीं बताया है। सविक खसरा नम्बर 392 की भूमि सिवायचक है। इसमें से केवल 7 बिस्वा भूमि ही गै0मु0 नाले की है। हाल खसरा नम्बर 956 का रकबा गै0मु0 नाला नहीं है, परन्तु तहसीलदार ने अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गलत रूप से गै.मु. नाले में अंकित होना बताया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह माना जाना कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

योग्य नहीं थी, गलत है क्योंकि आवंटी की ओर से प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र पर पटवारी ने विवादित भूमि काबिल आवंटन होने का उल्लेख किया है।

इसी प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह भी माना है कि आवंटी जिस ग्राम में भूमि स्थित है, उस गांव का निवासी नहीं होने का आवंटन नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत का उक्त अभिमत भी गलत है, क्योंकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 11 के अनुसार उसी गांव के निवासी को जिसमें कि भूमि स्थित है को आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख है, परन्तु दूसरे गांव के भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटित नहीं की जा सकेगी। ऐसा कोई प्रावधान उपरोक्त नियम में नहीं है। इसके अलावा भी आवंटी हिंगोट्या के पास स्थित ग्राम मिर्जापुर का निवासी है। दोनों गांवों की सीमाऐं आपस में मिलती हैं। इसके अलावा आवंटी एक भूतपूर्व सैनिक था। आवंटन की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता तहसीलदार भी उपस्थित थे। आवंटन के वक्त इस तरह की कोई आपत्ति तहसीलदार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। आवंटन के 20 साल बाद दुर्भावनापूर्ण तरीके से आवंटन को निरस्त कराने हेतु उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा नियम विरूद्ध की गई है। आवंटी हुक्मचन्द द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.1981 को प्रस्तुत कर दिया था। जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के साथ पेश करने के निर्देश दिये गये। आवंटी हुकमचंद को उक्त आवंटन उसकी ओर से प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र के आधार पर ही किया गया है। आवंटन किये जाने से पूर्व विधिवत जांच भी की गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर मौके की स्थिति देखने के आदेश दिनांक 05.06.2002 को दिये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार दिनांक 08.06.2002 को मौके पर पहुंचे थे तथा दूसरी बार दिनांक 22.06.2002 को मौके पर पहुंचने के लिये तहसीलदार द्वारा आवंटी को कहा गया। दिनांक 22.06.2002 को आवंटी की मौके पर उपस्थित होने के बाबजूद तहसीलदार ने दिनांक 22.06.2002 को मौका निरीक्षण नहीं कर दिनांक 25.06.2002 को गुपचुप में एकतरफा में मौका निरीक्षण कर लिया तथा उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट में आवंटी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये रिपोर्ट पेश कर दी गई। जबकि मौका निरीक्षण हेतु नियत दिनांक 22.06.2002 को आवंटी मौके पर उपस्थित था तथा दिनांक 25.06.2002 के संबंध में आवंटी को किसी प्रकार की कोई सूचना तहसीलदार द्वारा नहीं दी गई थी। उक्त एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2002 को पारित किया है, जो नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि आवंटी हुक्मचंद के फौजी होने के कारण विवादित भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के बाद कब्जा भी विधिवित रूप से संभलाया गया था। उसके बाद आवंटी द्वारा लगातार आवंटित भूमि पर काश्त की जाती रही, जिसकी पुंष्टि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से हो रही है। आवंटी हुकमचंद की ओर से विवादित आराजी का विक्रय अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 07.05.1999 को कर कब्जा संभलाये जाने पर विवादित भूमि के संबंध

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण भी खोला जा चुका है। उसके बाद से लगातार अपीलान्टस विवादित भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। 20 साल पुराने आवंटन को निरस्त करने का अधिकार अति0 जिला कलक्टर को नहीं होने के बाबजूद भी उपरोक्त आवंटन नियम विरूद्ध निरस्त किया गया है, जो कि निरस्तनीय है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि के संबंध में ही पहले भी अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही हुई थी, जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 02.03.1982 के द्वारा 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र को निरस्त कर आवंटन को बहाल रखा था। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन को निरस्त कराये जाने बाबत दुबारा न तो कार्यवाही की जा सकती है और न ही आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश ही दिया जा सकता है, क्योंकि उपरोक्त कार्यवाही सी पी सी की धारा 11 के तहत रैस्ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आती है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी को आवंटी से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया है। अपीलान्ट एक सद्भावी क्रेता है, इस कारण विवादित भूमि में अपीलान्ट के हित निहित होने के कारण उपरोक्त अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट ने उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों का भी उल्लेख करते हुये तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र की प्रथम पंक्ति में यह उल्लेख किया है कि "उनवानी प्रार्थना पत्र श्रीमान के अर्द्धशासकीय पत्रांक 3708 दिनांक 19.10.2000 के संदर्भ में निम्न प्रकार प्रस्तुत है" उक्त वाक्यांश से स्पष्ट है कि तहसीलदार गंगापुरसिटी ने नियम 14(4) का उक्त प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 3708 के संदर्भ में पेश किया है, यानि उक्त प्रकरण की कार्यवाही जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के पत्र के आधार पर ही चालू की गई है। ऐसे में ऐसी कार्यवाही को गुणावगुण पर निस्तारण करने का अधिकार जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर या अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर को नहीं रहता है। ऐसा किया जाना नैतिकता के खिलाफ भी है क्योंकि जिस अधिकारी के पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही चालू की गई है, वही अधिकारी उस कार्यवाही को गुणावगुण पर कैसे निस्तारित कर सकता है। ऐसे अधिकारी का नजरिया तो अपने पत्र के संदर्भ में ही रहेगा। इसलिए अति0 जिला कलक्टर स0मा0 को तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने का अधिकार नहीं था। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उक्त प्रार्थना पत्र को अन्य जिले में सुनवाई हेतु अन्तरित किया जाना चाहिऐ था या अपर न्यायालय में इसके लिए कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इसके बाबजूद भी अति0 जिला कलक्टर स0मा0 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र में आवंटी हुकमचंद शर्मा के पक्ष में आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कराने

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हेतु जो आधार लिये गये हैं, उन्हें प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 7 व 8 में अंकित किया है। मद नम्बर 7 में यह लिखा गया है कि उक्त आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित भूमि थी, जो काबिल आवंटन नहीं थी। उक्त आधार आवंटी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 2 पर उक्त भूमि की किस्म खातडी व ढहरी बताई है तथा पृष्ठ संख्या 3 प़र तस्दीक पटवारी वाले पन्ने पर कॉलम नम्बर 11 में पटवारी की रिपोर्ट में विवादित भूमि काबिल आवंटन माना है। इसके अलावा आवंटित भूमि खसरा नम्बर 370/1 का कुल रकबा 11 बीघा 17 विस्वा रहा है जिसमें से 8 बीघा 9 विस्वा भूमि खातडी किस्म की रही है और इस खातडी किस्म की भूमि में से ही 3 बीघा भूमि खसरा नम्बर 370/1 में से हुकमचंद को एलोट हुई थी। जहां तक खसरा नम्बर 392 का प्रश्न है उक्त भूमि का रकबा 2 बीघा 2 विस्वा हे जो पूरी भूमि हुकमचंद को एलोट हुई है जिसमें से एक बीघा 5 विस्वा की किस्म ढहरी दोयम किस्म है तथा 10 विस्वा बंजड डौल किस्म है। मात्र 7 विस्वा भूमि की किस्म गै0मु0 नाला है। उक्त तथ्य पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से भलीभांति प्रमाणित है कि आवंटी को आवंटित भूमि में से मात्र 7 विस्वा भूमि की किस्म ही गै0मु0 नाला है। इस आधार पर पूरी भूमि को ही गैर मुमकिन नाले की भूमि माना जाना व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन योग्य नहीं माना जाना उचित नहीं है। इसके अलावा भी केवल भूमि की किस्म नाला शब्द दर्ज होने से ही यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त भूमि वास्तव में नाले के ही काम आ रही है जब पटवारी हल्का ने आवंटित भूमि को काबिल आवंटन की रिपोर्ट दी है तो ऐसे में उक्त भूमि को धारा 16 आर टी एक्ट में वर्णित भूमि मानना गलत है। उक्त खसरा नम्बर 392 के हाल बन्दोवस्त में नवीन खसरा नम्बर 956 रकबा 22 ऐयर, 959 रकबा 33 ऐयर, 955 रकबा 7 ऐयर व 957 रकबा 9 ऐयर बने है जो पत्रावली में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है। खसरा नम्बर 392 का जो 7 ऐयर रकबा गै0मु0 नाला किस्म का रहा है उसका नवीन खसरा नम्बर या तो 955 हो सकता है या फिर 957 ही हो सकता है जो उक्त मिलान क्षेत्रफल को देखने से ही यह स्पष्ट है। इस तरह खसरा नम्बर 956 व 959 की भूमि तो किसी भी तरह से धारा 16 आर टी एक्ट में वर्णित भूमि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में लिया गया उक्त आधार गलत है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना के मद नम्बर 8 में यह लिखा गया है कि आवंटी ग्राम हिंगोटिया से बाहर कैमरी तहसील नादौती का मूल निवासी था। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 11 के तहत उसी गांव के व्यक्ति को कृषि भूमि के आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख है। अर्थात् उक्त वाक्यांश में प्राथमिकता शब्द का प्रयोग किया गया है। बाहर के व्यक्ति को आवंटन करने से कोई मनाही नहीं है। इसके अलावा आवंटी ग्राम कैमरी तहसील नादौती का निवासी नहीं होकर ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी का निवासी है। इसी पते पर उक्त

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रकरण में आवंटी हुकमचंद की तामील हुई है, जो कि मिर्जापुर में ही स्थाई रूप से निवास करता है। आवंटी का निवास आवंटित भूमि से एक कि0मी0 की दूरी पर भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में लिया गया उक्त आधार भी गलत है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने प्राथमिकता के आधार पर हुकमचंद के आवंटन को चेलेन्ज नहीं किया है ना ही ऐसे प्रार्थना पत्र पर उक्त कार्यवाही चालू हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 8 में लिया गया उक्त आधार भी गलत हो जाता है तथा तहसीलदार की ओर से नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त किया है, जो कि गलत है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में जो कारण लिखे हैं, उसमें उल्लेख किया है कि जिस व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र आवंटन या नियमन के लिये नहीं दिया, वह एग्रीब्ड परसन नहीं हो सकता। हुकमचंद नें कोई आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। उक्त आधार आवंटन के प्रार्थना पत्र को देखने से गलत साबित हो जाता है, क्योंकि आवंटी की ओर से प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र के पेज नंबर 2 के मध्य में यह अंकित है कि "श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी मिलेट्री में सेवारत है, श्रीमानजी उपजिलाधीश महोदय के यहां प्रार्थना पत्र पहले से पेश है जिसकी सूचना आपके कार्यालय में मौजूद है।" उक्त वाक्यांश को पढने से स्पष्ट है कि आवंटी हुकमचंद द्वारा भूमि आवंटन हेतु पूर्व से ही प्रार्थना पत्र पेश कर रखा था और उसी की निरन्तरता में दूसरा प्रार्थना पत्र आवंटी हुकमचंद के चाचा मुनीमलाल द्वारा हुकमचंद के लिये भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा यह माना जाना कि आवंटी हुकमचंद ने कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, स्वतः ही गलत हो जाता है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में हुई आवंटित भूमि किस्म गै0मु0 नाला मानते हुये धारा 16 आरटीएक्ट के तहत आवंटन योग्य नहीं होने का उल्लेख किया है, जो कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला नहीं होकर आवंटन योग्य भूमि मानी गई है। अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि वरवक्त आवंटन हुकमचंद एक राज्य कर्मचारी था। उसके द्वारा जिला कलक्टर से आवंटन बाबत कोई स्वीकृति नहीं ली गई। उक्त आधार गलत है, क्योंकि आवंटी हुकमचंद कोई राज्य कर्मचारी नहीं था, बल्कि मिलट्री सर्विस में केन्द्र सरकार का कर्मचारी था तथा उसके द्वारा उचित माध्यम से भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पहले से ही उपजिला कलक्टर के कार्यालय में भिजवा दिया गया था। इसलिए आवंटी की ओर से भूमि आवंटन करवाने के लिए जिला कलक्टर से आवंटन हेतु अलग से स्वीकृति लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है और न ही इस तरह की तकनीकी त्रुटियों के आधार पर आवंटन निरस्त ही किया जा सकता है। वकील अपीलान्ट ने इस संबंध में आरआरडी 1994 पेज 87 में प्रतिपादित

7.5.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सिद्धान्त का हवाला देते हुये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से दिनांक 10.12.2003 को एक प्रार्थना पत्र तहत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सी पी सी का पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 22.12.2003 के द्वारा अपील को निस्तारित कर दिया गया था। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 13/2004 पेश होने पर निर्णय दिनांक 23.01.2007 को अपील स्वीकार करते हुये, राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.12.2003 को अपास्त करते हुये अपीलान्ट की ओर से सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने के बाद पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2003 के साथ संलग्न दस्तावेजात को निर्णय दिनांक 28.03.2024 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

उक्त प्रकरण में बैजनाथ की ओर से 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये जाने हेतु सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसको स्वीकार किया जाकर बैजनाथ को पक्षकार बनाया गया है। बैजनाथ की ओर से रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटित भूमि के संबंध में ना तो कोई अपील पेश की गई और न ही 14(4) के तहत कोई प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति में बैजनाथ को आवंटी हुकमचंद को आवंटित भूमि के संबध में कोई आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। वह ज्यादा से ज्यादा अपीलान्टस की ओर से की गई बहस का जबाब ही दे सकता है नया उज्र नहीं ले सकता है। यदि आवंटन के संबध में उसे कोई कार्यवाही करनी है तो वह इस संबध में केवल सक्षम न्यायालय में नियमित वाद ही ला सकता है। बैजनाथ की ओर से अदालत मातहत में जो एतराज उठाये गये हैं, वह मानने योग्य नहीं है। रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में की गई आवंटन की कार्यवाही में आवंटन संबंधी प्रार्थना पत्र पर कुल 4 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, अर्थात् 3 सदस्य व उपखण्ड अधिकारी जो कि आवंटन समिति के अध्यक्ष हैं, के द्वारा उक्त आवंटन किया गया है, जो कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है। आवंटी ने आवंटन के बाद भूमि पर काबिज होकर काश्त किया है, जो कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है। आवंटी मिलेट्री की अल्पकालीन सेवा में रहा है और सेवानिवृत्त होने के बाद उसके द्वारा नियमित रूप से आवंटित भूमि पर काश्त की गई है। ऐसी स्थिति में 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र में आवंटी के सद्भावी काश्तकार नहीं होने की जो आपत्ति की गई है, वह आधारहीन होने के कारण गलत है। आवंटी हुकमचंद ने ललिता देवी को विवादित भूमि खसरा नम्बर 956 व 959 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वहैसियत खातेदार विक्रय की है और उक्त विक्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण केता ललिता देवी के पक्ष में तत्समय ही

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खोला जा चुका था। उक्त दोनों ही खसरा नम्बरान की भूमि किसी भी तरह धारा 16 आरटीएक्ट में वर्णित भूमि नहीं है, जिसकी पुष्टि अपीलान्टस की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेज से भलीभांति हो रही है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि आवंटी हुकमचंद द्वारा आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के कारण विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। खातेदारी प्राप्त होने के बाद कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने आरआरडी 2001 पेज 126, आरआरडी 1996 पेज 525, आरआरडी 1997 पेज 195, आरआरडी 1999 पेज 456, आरआरटी 2023 (2) पेज 1218, आरबीजे (10) 2003 पेज 272 व आरआरटी 2003 (2) पेज 921 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। इसके अलावा उक्त आवंटित भूमि के संबंध में पूर्व में भी कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रामपाल माली नामक व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई थी, जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 02.03.1982 के द्वारा खारिज कर दिया गया था। ऐसे में उक्त आवंटन के संबध में पुनः नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस तरह की कार्यवाही सीपीसी की धारा 11 में वर्णित रेसज्यूडिकेटा की तारीफ में आता है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने आरआरडी 1994 पेज 683 व डीएनजे 2000–2001 पेज 343 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया व तर्क दिया कि इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 13.08.2002 निरस्त किया जाकर रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में किये गये आवंटन को यथावत रखे जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रैस्पोडेन्ट संख्या 3 हुकमचंद के पक्ष में दिनांक 18.06.1981 को ग्राम हिंगोट्या के खसरा नंबर 370/1 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में से 3 बीघा एवं खसरा नंबर 392 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का आवंटन निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन योग्य नहीं होने व आवंटी के ग्राम कैमरी तहसील नादौती का निवासी होने के कारण रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसे जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोडेन्टस

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

को तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय से उपरोक्त प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को स्थानान्तरित किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 को पारित किया। जिसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को दिनांक 18.06.1981 को ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी में खसरा नंबर 370/1 में से 3 बीघा व खसरा नंबर 392 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 में यह माना है कि रैस्पोडेन्ट हुकमचंद के द्वारा किसी प्रकार का कोई आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए उसके पक्ष में किया गया आवंटन अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये है। आवंटन के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी नंबर 1 हुकमचंद के हस्ताक्षर न होकर किसी मुनीमलाल नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। इस आधार पर आवंटन प्रार्थना पत्र को शून्य माना गया है। इसी प्रकार विवादित भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाला होने व गैर मुमकिन नाले की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(6) के अनुसार आवंटन योग्य नहीं होने, वरवक्त आवंटन आवंटी हुकमचंद के राज्य कर्मचारी होने के कारण जिला कलक्टर से आवंटन बाबत पूर्व स्वीकृति नहीं लिये जाने के आधार पर आवंटन नियम विरूद्ध मानकर निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया था।

अपीलान्टस जो कि विवादित भूमि के केता हैं, की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 13.08.2002 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने व उक्त अपील राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा स्थानान्तरित होने पर उक्त प्रकरण अदालत हाजा में दर्ज रजिस्टर किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.01.2007 जिसके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.12.2003 को निरस्त कर अपीलान्ट की ओर से सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निस्तारण करने के बाद अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये थे कि पालना में अपीलान्ट की ओर से सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत दिनांक 10.12.2003 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अदालत हाजा की ओर से निर्णय दिनांक 28.03.2024 के द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद वकील अपीलान्ट की प्रकरण में बहस सुनी गई।

अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में जो आधार लिया गया है, उसमें विवादित भूमि के आवंटी रैस्पोडेन्ट हुकमचंद की ओर से पूर्व में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने व वक्त आवंटन रैस्पोडेन्ट के चाचा मुनीमलाल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटित

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किये जाने, आवंटी तहसील नादौती का निवासी नहीं होकर ग्राम हिंगोट्या जिसमें कि विवादित भूमि स्थित है, के पास स्थित गांव मिर्जापुर का निवासी होने, रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला नहीं होकर बारानी होने तथा वक्त आवंटन पटवारी हल्का द्वारा काबिल काश्त व आवंटन योग्य होने की रिपोर्ट किये जाने, आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किये जा सकने व उपरोक्त आवंटन के संबंध में पूर्व में भी 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त आवंटन को बहाल रखे जाने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय को नियम विरूद्ध बताकर निरस्त किये जाने तथा रैस्पोडेन्ट के हक में हुये आवंटन को बहाल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जहां तक अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 के गुणावगुण का प्रश्न है तो उपरोक्त प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के कार्यालय से प्राप्त हुई अपीलाधीन आवंटन संबंधी पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 हुकमचंद शर्मा की ओर से ग्राम हिंगोट्या के खसरा नंबर 370/1 रकबा 6 बीघा व 392 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का आवंटन किये जाने हेतु मुनीमलाल शर्मा की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रार्थी मिलिट्री में सेवारत है। उप जिलाधीश के यहां प्रार्थना पत्र पहले से पेश है। जिसकी सूचना कार्यालय में मौजूद है। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.06.1981 को रैस्पोडेन्ट संख्या 3 हुकमचंद पुत्र गजानंद शर्मा के पक्ष में ग्राम हिंगोट्या के खसरा नंबर 370/1 में 3 बीघा व 392 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 370/1 रकबा 3 बीघा खातली दर्ज है, परन्तु मौके पर खातली नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से विवादित भूमि का आवंटन रैस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने मीमो आफ अपील व बहस में यह उल्लेख किया गया है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से विवादित भूमि को आवंटित किये जाने बाबत पूर्व में उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, परन्तु रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कोई प्रति न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई और न ही अपीलाधीन आवंटन संबंधी मूल पत्रावली में ही उपलब्ध है। यद्यपि उक्त पत्रावली में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी के खसरा नंबर 126 में 10 बीघा कृषि भूमि आवंटित किये जाने बाबत पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी को भी प्रेषित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा उक्त पत्र क्रमांक 528 दिनांक 25.05.1981 के द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इसकी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सूचना रैस्पोडेन्ट के नियंत्रक अधिकारी को उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पत्र दिनांक 04.06.1981 के द्वारा प्रेषित की गई। उक्त प्रार्थना पत्र में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से ग्राम हिंगोट्या में विवादित भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इस तरह का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विवादित भूमि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया हो। अतः वकील अपीलान्ट द्वारा दिया गया यह तर्क कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा विवादित भूमि को आवंटित किये जाने बाबत पूर्व में ही उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, सारहीन हो जाता है।

इसी प्रकार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 5 के अनुसार अनाधिवासित भूमियों की सूची तैयार किये जाने, नियम 7 के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुये उद्घोषणा जारी किये जाने का उल्लेख है। उद्घोषणा जारी किये जाने के बाद निर्धारित प्रारूप में आवेदन किये जाने के प्रावधान हैं। उपरोक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से विवादित भूमि को आवंटित किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट की ओर से न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में ही प्रस्तुत किया गया, वरन् विवादित भूमि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटित किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रारूप फार्म नंबर 3 में मुनीमलाल शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे रैस्पोडेन्ट संख्या 3 का चाचा होना बताया गया है, लेकिन अपीलान्ट की ओर से इस तरह का कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि मुनीमलाल रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के चाचा हों तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 3 ने उनकी ओर से भूमि आवंटित किये जाने बाबत प्रार्थना पंत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु उन्हें अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के आधार पर किये गये आवंटन को उचित नहीं कहा जा सकता है।

उपरोक्त आवंटन नियमों के नियम 11 में आवंटन की पात्रता तथा प्राथमिकताएं तय की हुई हैं। उसमें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 101 (4) में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार आवंटित किये जाने का प्रावधान है। एल.आर.एक्ट की धारा 101(4) में यह प्रावधान है कि यदि एक ही भूमि को लेने वाले एक से अधिक व्यक्ति हों तो आवंटन निम्नांकित कम में किया जावेगा :–

(i) खाते के सहभागीदारों को यदि वे एक सैलंग खण्ड का भाग हो या एक ही स्त्रोत से सींचा जाता हो।

(ii) उन व्यक्तियों को जो उस गांव में रहते हैं, जहां भूमि स्थित है। ऐसे व्यक्तियों में प्राथमिकता उन व्यक्तियों को दी जाएगी, जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है या उक्त नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से कम भूमि हो।

(iii) गोली डालकर।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

परन्तु इस प्रकार ली हुई भूमि उसके द्वारा धारण की हुई भूमि को मिलाकर उक्त नियमों द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक नहीं होती हो।

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि भूमि उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो उस गांव में रहते हैं। उपरोक्त प्रकरण में स्वयं अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि वह जिस गांव में भूमि आवंटित की गई है। उस गांव का निवासी नहीं होकर दूसरे गांव का निवासी है। अतः आवंटन नियम 1970 के नियम 11 में वर्णित उपरोक्त प्रावधान के आधार पर अपीलाधीन आवंटन उचित नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटित भूमि खसरा नंबर 370/1 रकबा 3 बीघा व खसरा नंबर 392 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन योग्य होने व वक्त आवंटन गैर मुमकिन नाले की भूमि नहीं होने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से सीपीसी के 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2003 के साथ संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2030 के अनुसार खसरा नंबर 370/1 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा की किस्म खातली व गैर मुमकिन नाला है। इसी प्रकार खसरा नंबर 392 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से भी 10 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन नाले की है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ही प्रस्तुत किये गये मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेन्ट साविक खसरा नंबर 392 मिन से खसरा नंबर 955, 956, 957 व 959 बनाये गये हैं तथा जमाबन्दी सम्वत् 2039 से खसरा नंबर 955 व 959 को बारानी प्रथम तथा खसरा नंबर 956 व 957 को गैर मुमकिन नाला बताया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 20 जिसके द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में आवंटित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तकरण खोला गया है, में भी खसरा नंबर 956 व खसरा नंबर 925 में वर्णित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला है। अपीलान्टस की ओर से विवादित भूमि के आवंटी रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से भूमि क्रय किये जाने के बाद जिस भूमि का नामान्तकरण अपीलान्टस के हक में नामान्तकरण संख्या 212 दिनांक 14.07.1999 के द्वारा खोला गया है। उसमें खसरा नंबर 956 व 959 अपीलान्ट के नाम स्थानान्तरित किये गये हैं तथा जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है कि खसरा नंबर 956 की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में उल्लेखित भूमियां इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटित की गई भूमि में गैर मुमकिन नाले की भूमि भी आवंटित की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटित नहीं की जा सकती है। अतः कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत भी अपीलाधीन आवंटन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नजर नहीं आती है।

वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया यह तर्क कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में भी किसी रामपाल नाम के व्यक्ति द्वारा नियम 14(4) के तहत अतिरिक्त

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में आवंटन निरस्त कराये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसलिए पुनः नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन को निरस्त किया जाना सीपीसी की धारा 11 में वर्णित प्रावधान के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रामपाल नामक व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उसमें विवादित भूमि पर स्वयं का कब्जा होने व उपखण्ड अधिकारी की ओर से उनके पक्ष में विवादित भूमि नियमन किये जाने की सिफारिश किये जाने के कारण रैस्पोडेन्ट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त करने का अनुतोष चाहा था। इस प्रार्थना पत्र को अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 02.03.1982 के द्वारा निरस्त किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में भूमिधारी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य व पक्षकार भिन्न–भिन्न हैं। इसलिए हस्तगत अपील में सीपीसी की धारा 11 के प्रावधान लागू किया जाना उचित नहीं है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर यथा आरआरडी 1994 पेज 683 व डीएनजे 2000–2001 पेज 343 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर हमारी विनम्र राय में उपरोक्त नजीरें हस्तगत अपील पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होती हैं।

जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित यह तथ्य कि एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किये गये आवंटन प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है व इस तर्क के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न नजीरें यथा आरआरडी 2001 पेज 126, आरआरडी 1996 पेज 525, आरआरडी 1997 पेज 195, आरआरडी 1999 पेज 456, आरआरटी 2023 (2) पेज 1218, आरबीजे (10) 2003 पेज 272 व आरआरटी 2003 (2) पेज 921 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु हस्तगत प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 जिसको कि विवादित भूमि आवंटित की गई है कि ओर से न तो निर्धारित प्रारूप में विवादित भूमि को आवंटित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही रैस्पोडेन्ट संख्या 3 उस गांव का ही निवासी है। जिस गांव में भूमि आवंटित की गई है तथा आवंटित की गई भूमि में से कुछ भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला है। गैर मुमकिन नाले की भूमि को राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत आवंटित किये जाने पर प्रतिबंधित है तथा ऐसी भूमि जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता, के आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अतः हमारी विनम्र राय में उपरोक्त नजीरों में वर्णित तथ्य हस्तगत अपील में वर्णित तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा नहीं होते हैं।

उपरोक्त के अलावा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 में पटवारी हल्का की ओर से दिनांक 25.06.2002 को

7.12.2021
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मकान नम्बर ई-19ए, पानी की टंकी

प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है। इस मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हिंगोट्या के गत खसरा नंबर 370/1 व 392 के हाल नंबर मुताबिक पत्रावली मिलान क्षेत्रफल विवादित खसरा नंबर 825/1 रकबा 0.75 है0, 956 रकबा 0.22 है0, 959 रकबा 0.33 है0 का मौका देखा गया। मौके पर 959 रकबा 0.33 है0 में सफेदा आदि के पेड़ लगे हुये हैं एवं खसरा नंबर 956 तथा 825/1 मौके पर ना काबिल काश्त गैर मुमकिन नाला है। जिसमें से होकर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि चूली नाला कानीखो का पानी आता है। उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि चूली व सलेमपुर को जाने का आम रास्ता है। शीट में 825/1 रकबा 0.75 है0 की कोई तरमीम नहीं है और न ही मौके पर कोई खेत बना हुआ है। यद्यपि उपरोक्त मौका रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में यह आपत्ति की गई थी कि उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एकतरफा में बनाई गई है, परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट पर पटवारी के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर हो रहे हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया जाना उचित नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से भी पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2002 के विरूद्ध किसी तरह का कोई दस्तावेज न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में ही प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित भूमि में सफेदा का पेड़ नहीं हो या गैर मुमकिन नाला नहीं हो। अदालत हाजा को केवल मात्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2002 के गुणावगुण पर विचार करना है। हमारे समक्ष प्रस्तुत हुये रिकार्ड व दस्तावेजात के आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल शर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर